

विवरण

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार फ्रांसिस  
उराव पिता - पतरस दास उराव को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख  
 में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के वैदरिवासा  
 द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम वैदरिवासा  
 वर्ष \_\_\_\_\_ का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई  
 के दौरान पाया जाया है कि उनके  
 पास लगान रसीद के अतिरिक्त सच्चा कोई दस्तावेज नहीं है।  
 है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त  
 है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी II में  
 उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार \_\_\_\_\_  
दल नहीं है। है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया  
 है कि विषयगत भूमि ग्राम वैदरिवासा खाता नं0 101 प्लॉट नं0  
1206, 1210, 1211, सर्वे खतियान में किस्म \_\_\_\_\_ दर्ज है जे  
 सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 8144/रा0  
 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है  
 नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने अनियमित करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त  
 तथ्यों से स्पष्ट है कि फ्रांसिस उराव पिता - पतरस दास उराव  
जान - वैदरिवासा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान  
 पड़ता है :-

मौजा	धाना संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>वैदरिवासा</u>	<u>65</u>	<u>101</u>	<u>1206, 1210</u> <u>1211, 1254</u>	<u>5.66</u> ए०

अतः विभागीय पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं  
 भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में उक्त  
 जमाबन्दी का नियमितिकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,

बोलबाहा

13/11/20

अंचल अधिकारी,

बोलबाहा

13/11/20